

मसूदा (अजमेर)

29/6/18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रार्थना
 पत्र धारा 212 RJA पर बहल उच्चपदान हुई गई।
 पत्रावली का केवलोकन किया गया। वाद अवलोकन
 पाया कि प्रार्थी एक कृषि सज्जान + वाद गति
 काराजी के सभुला खेतों पर कर्तव्य है। एसी स्थिति
 में उच्चपदान के लार्डसला वाद तक अन्तरिक कथानी
 निवेद्यादु के वाक्य किया जाता है। कि विवादित
 भूमि का 250 बय कारिगरी की कर नहीं करवा।
 मिसल इसल शुमार गवाह से कर हो वाद रफत
 दाखिल है।

(सुरेश चावला)

विपणन और सर्व सहायक कलक्टर
 मसूदा (अजमेर) राज०

